


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.4.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वगुलान्त भारिकेन उद्योगिता प्रकरणों से संबंधित मूल वाद प्रार्थना पत्र 07/11/11 110/110 स्वीकार होने से खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 2(2)(A) भी खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेषित शुभार होकर नंबर से कम होकर शकिल दफ्तर ही।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>